

राज्य सरकार वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है- भजनलाल

जयपुर, 19 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन वर्गों के लिए स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें। अंत्योदय की भावना को केन्द्र में रखकर राज्य सरकार नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, ताकि विकसित, समावेशी एवं सशक्त राजस्थान बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ 1 जा सके।

इसी दिशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने उल्लेखनीय पहल की है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के 1 हजार 381 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपये के रियायती ब्याज पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वरोजगार, व्यवसाय विस्तार और शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार प्रदाता बन सके।

मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भी ऑनलाइन ऋण आवेदन की प्रक्रिया

राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों के माध्यम से भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत कराए जा रहे हैं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पूर्ण कर ली गई है। निर्धारित लक्ष्य 3 हजार 470 के मुकाबले 15 हजार 635 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो योजना के प्रति आमजन के बढ़ ते विश्वास को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में, जनवरी 2026 के दौरान जिला स्तरीय ऋण चयन

समितियों द्वारा जिलेवार साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद डीबीटी के माध्यम से ऋण राशि सीधे उनके खातों में पहुंच जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं उद्य-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें निर्धारित लक्ष्य 3,470 के मुकाबले अब तक 15,635 आवेदन योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

माध्यम से भी ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है। इसमें लक्ष्य 3 हजार 400 के विरुद्ध अब तक 2 हजार 670 व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 452 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
करने की सलाह दी, क्योंकि ऐसा करने पर वरिष्ठ नेता एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे। केरल कांग्रेस इकाई में वेणुगोपाल बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी के बेहद करीबी होने के कारण उन्हें लगता है कि वे केरल की सत्ता तक पहुंच सकते हैं।राहुल गांधी से 14 जनवरी के बाद एआईसीसी में पुनर्गठन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस की नीति किसी मुख्यमंत्री चेहरे को पहले से प्रोजेक्ट करने की नहीं रही है और यही स्थिति केरल में भी रहेगी। के.सी. वेणुगोपाल एआईसीसी में वह शख्स हैं, जो अधिकांश नियुक्तियों और फैसलों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पाटी का बड़ा हिस्सा उनके भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही करते हैं, जो के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं। अब तक उनमें वेणुगोपाल के सामने खड़े होने का साहस नहीं दिखा है। इसलिए यह फैसला कि वेणुगोपाल जाएंगे या यहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह बदल सकता है। एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में, “तब तक इंतजार करो और देखो।”

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
गांधी स्टेडियम में शुभारंभ करेंगे। गांधी नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुहन सोनकर के आवास जाएंगे और अंत में मनरेगा चौपाल में शामिल होकर लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद वे रायबरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे।

एसआई पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आरोपियों और गवाहों की संख्या के साथ ही आरोपियों पर चार्ज तय नहीं होने की स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित है।

जमानत याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत 15 मार्च से जेल में बंद है। एसओजी ने उसके खिलाफ आईपीसी सहित, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम व आईटी एक्ट के तहत जांच कर आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस प्रकरण में कुल 133 आरोपी और 150 गवाह हैं। वहीं अभी तक निचली अदालत में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने रवीन्द्र बाल भारती स्कूल के संचालक राजेश खंडेलवाल से दस लाख रुपए में

पेपर का सौदा किया था। प्रकरण में राजेश खंडेलवाल ने पेपर लोक किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से गत 5 दिसंबर को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसका अपराध राजेश खंडेलवाल से गंभीर नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता पर 12 प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से सात मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है और पांच प्रकरणों में वह दोषमुक्त हो चुका है। इसके अलावा, जिन धाराओं में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, उनमें अधिकतम तीन साल की हजा का प्रावधान है और वह 22 माह जेल में रह चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। इ सका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

‘शिव सेना ने मुम्बई को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी गणित के चलते, शिंदे टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है, तो उसे महायुति से सिरिफ आठ पापंदों के पाला बदलने की जरूरत होगी और वह भाजपा की स्थिति पलट सकता है।

लेकिन क्या शिंदे सेना को सिर्फ ठाकरे परिवार से ही डर है?

उद्धव ठाकरे को मुताबिक, शिंदे दरअसल भाजपा से सशक्तित हैं। उन्होंने कहा, जो लोग एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं, वे दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। एनडीए के भीतर मेयर पद को लेकर खींचतान चल रही है। भाजपा अपने किसी हापंद को मेयर बनकर राजनीतिक संदेश देना चाहती है, जबकि शिंदे पर शीर्ष पद का दावा करने का दबाव है।

दशकों से मुंबई में शिवसेना का मेयर रहा है और इस बार इसे गंवाना बाल ठाकरे की विरासत पर उनके दावे को कमजोर करेगा। शिंदे को पिछले साल राज्य चुनावों के बाद, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और देवेन्द्र फड़णवीस के उपमुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। अब यदि बीएमपी मेयर का पद भी हाथ से निकल गया तो यह उनकी

प्रतिष्ठा के लिए एक और नुकसान होगा और ठाकरे परिवार को मौका मिल जाएगा। इसीलिए मुंबई के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिंदे टीम का यह “रिजॉर्ट कदम” सिर्फ विपक्ष की योजनाओं को नाकाम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी भाजपा को लेकर है।

हालांकि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा है कि मेयर के सवाल पर एनडीए के नेता, जिनमें उनमें वे स्वयं और शिंदे शामिल हैं, मिलकर फैसला करेंगे।

शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र “सामना” के संपादकीय में शिंदे टीम को चुनौती दी गई है। संपादकीय में कहा गया है, “शिवसेना ने मुंबई को 23 मराठी मेयर दिए हैं, क्या यह परंपरा अब भी जारी रहेगी?” संपादकीय में मुख्यमंत्री फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे के बीच खुली खींचतान का दावा किया गया है।

संपादकीय के अनुसार, ठाकरे भाइयों ने मुंबई की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसमें कहा गया है, “पहचान को इस लड़ाई का इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि फड़णवीस का चुनाव जीतने का आत्मविश्वास विकास कार्यों से नहीं, बल्कि अपार धन और शक्ति से आया है। पार्टी ने कहा, “इस आत्मविश्वास का विकास को कोई लेना-देना नहीं है, यह पूरी तरह मशीनों, पैसे के मंत्र और दबाव की राजनीति पर आधारित है।”

संपादकीय में कहा गया, नगर निगम चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ चुके हैं। असली राजनीति अभी बाकी है, जिससे संकेत मिलता है कि मेयर का चयन आसान नहीं होगा।

दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने कल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) का मेयर बनाना उनका सपना है। “और अगर भगवान को इच्छा हुई तो यह सपना जरूर पूरा होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मजाक में पूछा कि क्या ठाकरे ने “देवा” शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया है या भगवान के लिए। उन्होंने कहा, “मुझे भी “देवा” कहा जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं।” उन्होंने आगे कहा, “ऊपर वाले भगवान ने तय कर दिया है कि मेयर महायुति का ही होगा।”

बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति (लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी) की सूची में हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। अदालत ने कहा कि यह सूची ग्राम पंचायत भवनों, तालुका स्तर के ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में लगाई जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से देख सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम इस तार्किक विसंगति सूची में दर्ज हैं।

मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जिन लोगों के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने के लिए पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में विशेष कार्टर/कार्यालय बनाए जाएं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निकायों के ज़रिये उसे दरकिनार करने में। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, एक ऐसे नेता की ओर से आया है, जो लगातार संयुक्त राष्ट्र को बेकार और अप्रासंगिक बताता रहा है। यह भारत की मूल कूटनीतिक सोच के बिल्कुल विपरीत जाता है। इसी कारण “ट्रंप संयुक्त राष्ट्र” का लेबल नई दिल्ली में कहीं ज़्यादा तीखा नहीं रखता है।

प्रस्तावित बोर्ड की संरचना इन चिंताओं को और गहरा करती है। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जो कम-से-कम औपचारिक रूप से संप्रभु समानता और सामूहिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, यह बोर्ड निवेशन, पदानुक्रम और वित्तीय ताकत पर टिका हुआ दिखाता है। ट्रंप की केन्द्रीय भूमिका बतौर अध्यक्ष, प्रभाव के बदले बड़े वित्तीय योगदान पर जोर, और यह संकेत कि यह बोर्ड गांजा से आगे अन्य संघर्ष क्षेत्रों तक फैल सकता है, ये सभी वैश्विक समस्याओं के समाधान का एक ऐसा मॉडल दिखाते हैं, जो संस्थानगत और लेन-देन आधारित अधिक हैं। भारत, जो स्वयं को नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक बताता आया है, के लिए ऐसे निकाय में भागीदारी एक ऐसे

यूआई के राष्ट्रपति को कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे प्र.मंत्री मोदी

नई दिल्ली, 19 जनवरी। संयुक्त अरब अमीरात (यूए) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन सोमवार को भारत के अपने आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

दोनों नेताओं के बीच स्वागत समारोह के दौरान दोस्ताना बातचीत भी हुई। इस दौरान एक खास पल भी देखने को मिला, जब एक बार फिएर पीएम मोदी की कार वाली डिप्टोमेसी की झलक देखने को मिली।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद सखा ही एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना हुए, जिससे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंधों की झलक दिखी।

हाई कोर्ट ने एसआई पेपर लीक अपील पर बहस पूरी की, फैसला सुरक्षित

पेपर लीक में एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट खंडपीठ में कई अपीलें दायर हुई थीं

जयपुर, 19 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने और आरपीएससी के सदस्यों व चेयरमैन के खिलाफ टिप्पणी करने के खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले प्रश्न पत्र को दूसरे सदस्य रामू राम राइका को दिया था। राइका ने इसे अपनी संतान को दिया, जिससे उनका भर्ती में चयन हो गया। वहीं इस दौरान

■ याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह की दलील थी कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले प्रश्न पत्र एक दूसरे सदस्य को दे दिया था। सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को हस्तलिखित उत्तर सहित प्रश्न पत्र भेजे गए थे।

कटारा ने अपने चालक के बेटे अजय प्रताप सिंह को पेपर दिया। इसके अलावा भतीजे विजय डामोर व राहुल कटारा को भी पेपर उपलब्ध कराया। वहीं दलाल कुंदल को परीक्षा से पांच दिन पहले पेपर दिया गया। इसने अशोक गहलोत के तत्कालीन पीएसओ राजकुमार यादव को यह पेपर दिया। दोनों वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रश्न पत्र को हस्तलिखित उत्तर सहित, सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को भेजा गया। वहीं प्रकरण में फिलहाल 89 लोगों के खिलाफ जांच लंबित है और 12 वांछित विदेश चले गए हैं। पुलिस

दो साल से जांच कर रही है। ऐसे में दोषियों की छटनी संभव नहीं है। इसलिए एकलपीठ का भर्ती रद्द करने का फैसला सही है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा गया भर्ती में दोषियों की छंटनी संभव है और सरकार को प्रकरण में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि वे पुरानी नौकरी छोड़कर आए हैं और जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं। ऐसे में भर्ती रद्द करना ठीक नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रियल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुरा फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायका हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय : जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय : जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908